



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2014 / 00280

दर्ज तिथि:-28.05.2014

1. तगा पुत्र रावता फौत के कायम मुकाम  
1/1 विशनाराम पुत्र तगाराम  
1/2 जमनादेवी पत्नी तगाराम
2. भंवरा पुत्र रावता
3. काना पुत्र रावता  
कौम दर्जी निवासी मोडोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा

.....वादी

बनाम

1. देवा पुत्र डूंगरा
2. बाका पुत्र डूंगरा
3. प्यारी पत्नी डूंगरा फौत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 व 02
4. लाला पुत्र सोना फौत के कायम मुकाम  
4/1 उमीदेवी पुत्री लालाराम  
4/2 खेतु पुत्री लालाराम  
4/3 गंगाराम पुत्र लालाराम  
4/4 जोगाराम पुत्र लालाराम  
4/5 धर्मराम पुत्र लालाराम  
4/6 धाई पुत्री लालाराम  
4/7 धापूदेवी पुत्री लालाराम  
4/8 महेश पुत्र लालाराम  
4/9 समदा पत्नी लालाराम  
4/10 सालुराम पुत्र लालाराम  
4/11 हीराराम पुत्र लालाराम
5. रेखा पुत्र सोना
6. दुर्गा पुत्र हस्ता
7. रामा पुत्र हस्ता
8. पारु पत्नी हस्ता  
जाति दर्जी निवासी मोडोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादीगण

9. शाखा प्रबंधक मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू।
10. तहसीलदार सिणधरी हाल तहसीलदार नोखड़ा।

.....तकमीली प्रतिवादीगण



उपस्थित अधिवक्ता  
वादी:- श्री डालूराम चौधरी  
प्रतिवादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-19.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 240/0.08 बीघा, 241/167.13 बीघा, 239/119.07 बीघा, 245/46.02 बीघा मौजा मोडोणियों की ढाणी हाल ग्राम राईकों का नाडा पटवार हल्का आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील असागतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में दिनांक 08.01.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/143 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/143 दिनांक 12.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल)

नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 05.03.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 965-982 दिनांक 18.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 965-982 दिनांक 18.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2066-2069 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 240/0.08 बीघा, 241/167.13 बीघा, 239/119.07 बीघा, 245/46.02 बीघा मौजा मोडोणियों की ढाणी हाल ग्राम राईकों का नाडा पटवार हल्का आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 240/0.08 बीघा, 241/167.13 बीघा, 239/119.07 बीघा, 245/46.02 बीघा मौजा मोडोणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाइमेर मुताबिक कुर्रेजात

रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म		
कानाराम पुत्र रावताराम जाति दर्जी सा0 देह खातेदार रहन-आरएमजीबी होडू	राईकों का नाडा	239	0.4854	बा0सो0		
		240	0.1456	गै0मु0 ढाणी		
		241	6.2293	बा0सो0		
		241	1.6180	बा0सो0		
		245	1.6180	बा0सो0		
किता 05 रकबा 10.0963 है0						
भंवराराम पुत्र रावताराम जाति दर्जी सा0 देह खातेदार	राईकों का नाडा	239	6.1565	बा0सो0		
		241	2.3299	बा0सो0		
		245	1.6180	बा0सो0		
किता 03 रकबा 10.1044 है0						
दुर्गाराम पुत्र हस्ताराम हि0 1/3 रामाराम पुत्र हस्ताराम हि0 1/3 पारू पत्नी हस्ताराम हि0 1/3 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार	राईकों का नाडा	239	7.4913	बा0सो0		
		245	2.6049	बा0सो0		
किता 02 रकबा 10.0962						
विशनाराम पुत्र तगाराम हि0 1/2 जमना पत्नी तगाराम हि0 1/2 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार	राईकों का नाडा	239	5.1776	बा0सो0		
		241	3.3088	बा0सो0		
		245	1.6181	बा0सो0		
किता 03 रकबा 10.1045 है0						
गंगाराम पुत्र लालाराम हि0 5/132 चकुदेवी पत्नी बांकाराम हि0 40/843 जोगाराम पुत्र लालाराम हि0 5/132 देवाराम पुत्र डूंगराराम हि0 683/3372 धरमाराम पुत्र लालाराम हि0 5/132 बांकाराम पुत्र डूंगराराम हि0 1/4 महेशकुमार पुत्र लालाराम हि0 5/132 रेखाराम पुत्र सोनाराम हि0 1/4 समदा पत्नी लालाराम हि0 1/44 सालूराम पुत्र लालाराम हि0 5/132 हीराराम पुत्र लालाराम हि0 5/132 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार	राईकों का नाडा	241	6.1727	बा0सो0		
		241	7.4671	बा0सो0		
		किता 02 रकबा 13.6398 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से

पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2014 / 00280

दर्ज तिथि:-28.05.2014

1. तगा पुत्र रावता फौत के कायम मुकाम  
1/1 विशनाराम पुत्र तगाराम  
1/2 जमनादेवी पत्नी तगाराम
2. भंवरा पुत्र रावता
3. काना पुत्र रावता  
कौम दर्जी निवासी मोडोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा

.....वादी

बनाम

1. देवा पुत्र डूंगरा
2. बाका पुत्र डूंगरा
3. प्यारी पत्नी डूंगरा फौत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 व 02
4. लाला पुत्र सोना
5. रेखा पुत्र सोना
6. दुर्गा पुत्र हस्ता
7. रामा पुत्र हस्ता
8. पारु पत्नी हस्ता  
जाति दर्जी निवासी मोडोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी हाल तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादीगण

9. शाखा प्रबंधक मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू।
10. तहसीलदार सिणधरी हाल तहसीलदार नोखड़ा।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 240/0.08 बीघा, 241/167.13 बीघा, 239/119.07 बीघा, 245/46.02 बीघा मौजा मोडोणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म	
कानाराम पुत्र रावताराम जाति दर्जी सा० देह खातेदार रहन-आरएमजीबी होडू	राईकों का नाडा	239	0.4854	बा०सो०	
		240	0.1456	गै०मु० ढाणी	
		241	6.2293	बा०सो०	
		241	1.6180	बा०सो०	
		245	1.6180	बा०सो०	
किता 05 रकबा 10.0963 है०					
भंवराराम पुत्र रावताराम जाति दर्जी सा० देह खातेदार	राईकों का नाडा	239	6.1565	बा०सो०	
		241	2.3299	बा०सो०	
		245	1.6180	बा०सो०	
किता 03 रकबा 10.1044 है०					
दुर्गाराम पुत्र हस्ताराम हि० 1/3 रामाराम पुत्र हस्ताराम हि० 1/3 पारू पत्नी हस्ताराम हि० 1/3 जाति दर्जी सा० देह खातेदार	राईकों का नाडा	239	7.4913	बा०सो०	
		245	2.6049	बा०सो०	
किता 02 रकबा 10.0962					
विशनाराम पुत्र तगाराम हि० 1/2 जमना पत्नी तगाराम हि० 1/2 जाति दर्जी सा० देह खातेदार	राईकों का नाडा	239	5.1776	बा०सो०	
		241	3.3088	बा०सो०	
		245	1.6181	बा०सो०	
किता 03 रकबा 10.1045 है०					
गंगाराम पुत्र लालाराम हि० 5/132 चकुदेवी पत्नी बांकाराम हि० 40/843 जोगाराम पुत्र लालाराम हि० 5/132 देवाराम पुत्र डूंगराराम हि० 683/3372 धरमाराम पुत्र लालाराम हि० 5/132 बांकाराम पुत्र डूंगराराम हि० 1/4 महेशकुमार पुत्र लालाराम हि० 5/132 रेखाराम पुत्र सोनाराम हि० 1/4 समदा पत्नी लालाराम हि० 1/44 सालूराम पुत्र लालाराम हि० 5/132	राईकों का नाडा	241	6.1727	बा०सो०	
		241	7.4671	बा०सो०	

हीराराम पुत्र लालाराम हि0 5/132 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार				
किता 02 रकबा 13.6398 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नजरी नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर

